

कार्यालय कलेक्टर (पंचायत) जबलपुर

क्र./²⁹⁶³पंचा.निर्वा./2020

जबलपुर दिनांक: 20/01/2020

प्रति,

1. मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जनपद पंचायत जबलपुर/कुण्डम/मझौली/पनागर/पाटन/शहपुरा/सिहोरा
2. खण्ड पंचायत अधिकारी
जनपद पंचायत जबलपुर/कुण्डम/मझौली/पनागर/पाटन/शहपुरा/सिहोरा

विषय: दिनांक 27 एवं 30 जनवरी 2020 को ग्राम पंचायतों के वार्ड/सरपंच/जनपद/जिला पंचायतों के आरक्षण की प्रारंभिक सूचना जारी करने बावत्।

संदर्भ: अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग का पत्र क्रं./एफ-16-1/2020/22/पं-2/भोपाल दिनांक 20 जनवरी 2020

विषयांतर्गत दिनांक 27 एवं 30 जनवरी 2020 को ग्राम पंचायतों के वार्ड/सरपंच/जनपद/जिला पंचायतों के निर्वाचन क्षेत्र तथा जनपद पंचायत के अध्यक्ष पद के आरक्षण की कार्यवाही हेतु प्रारंभिक सूचना दिनांक 20.01.2020 को जारी की गई है। जिनकी प्रति संलग्न है।

अतः आप प्रत्येक जनपद पंचायत/तहसील/ग्राम पंचायत/ग्राम स्तर पर प्रारंभिक सूचना का प्रकाशन कराते हुये संलग्न प्रमाण पत्र/पंचनामा की प्रति इस कार्यालय को तत्काल विशेष वाहक के हस्ते प्रेषित करना सुनिश्चित करें।


कलेक्टर
जिला जबलपुर

पृ.क्र./²⁹⁶³पंचा.निर्वा./2020

जबलपुर दिनांक: 20/01/2020

प्रतिलिपि:-

1. उपसंचालक, जनसंपर्क, शहीद स्मारक जबलपुर की ओर प्रकाशनार्थ।
2. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), अनुभाग जबलपुर/कुण्डम/सिहोरा/पाटन की ओर सूचनार्थ।
3. तहसीलदार, जबलपुर/कुण्डम/मझौली/पनागर/पाटन/शहपुरा/सिहोरा की ओर सूचनार्थ।
4. जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी, एनआईसी, कार्यालय कलेक्टर जबलपुर की ओर जिले की वेबसाइट में अपलोड करने हेतु।


कलेक्टर
जिला जबलपुर

कार्यालय कलेक्टर (पंचायत) जबलपुर
प्रारंभिक सूचना

जबलपुर दिनांक: 20/01/2020

मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 13 (4) (5) (6), धारा 17 (2) (3) (4), धारा 23 (3) (4) (5), धारा 25 (2) (3) (4) एवं धारा 30 (3) (4) (5) एवं म.प्र. पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 04 एवं 6, 7 एवं अधिनियम की धारा 25 के सहपठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 3 के तहत एवं मध्यप्रदेश शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग का पत्र क्रं. /एफ-16-1/2020/22/पं-2/भोपाल दिनांक 20 जनवरी 2020 की कड़िका 2 की 2.1 में ग्राम पंचायत के वार्ड जनपद एवं जिला पंचायत के निर्वाचन क्षेत्र के आरक्षण कड़िका 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4 तथा 2.2.4 में उल्लेखित निर्देशानुसार जबलपुर जिले की समस्त ग्राम पंचायत के वार्ड जनपद/जिला पंचायत के निर्वाचन क्षेत्रों तथा सरपंच, जनपद पंचायत अध्यक्ष के आरक्षण की कार्यवाही निम्न दर्शित कार्यक्रम अनुसार की जावेगी।

पत्र क्रं./एफ-16-1/2020/22/पं-2/भोपाल दिनांक 20 जनवरी 2020 के परिपालन में सर्व सधारण की जानकारी हेतु सूचित किया जाता है कि जो व्यक्ति लाट डालने के अवसर पर उपस्थित रहना चाहते है ये निम्न दर्शित कार्यक्रम अनुसार निर्धारित तिथि, समय, स्थान में उपस्थित रह सकते है।

::सारणी::

क्रं.	पद जिके लिये आरक्षण किया जाना है	स्थान	दिनांक	समय
1	ग्राम पंचायत के वार्ड/सरपंच पद के आरक्षण की कार्यवाही	कार्यालय कलेक्टर परिसर जबलपुर	27 जनवरी 2020 (सोमवार)	प्रातः 11.00 बजे से
2	जनपद पंचायत/जिला पंचायत के निर्वाचन क्षेत्र तथा जनपद पंचायत के अध्यक्ष पद के आरक्षण की कार्यवाही	कार्यालय कलेक्टर परिसर जबलपुर	30 जनवरी 2020 (गुरुवार)	प्रातः 11.00 बजे से

कलेक्टर
जिला जबलपुर